छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1014/2008

1. श्री विक्टर एक्का, – *अपीलार्थी*
उप कुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 लोक आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विक्टर एक्का द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 लोक आयोग, रायपुर के समक्ष दिनांक 04.07.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 28.07.2008 को धारा–8(जे) के अन्तर्गत छूट प्राप्त होने एवं गोपनीय माने जाने के कारण जानकारी नहीं दी गई जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.08.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण जन सूचना अधिकारी को स्पष्ट कारण बताते हुए पुनः आदेश पारित करने के लिए प्रत्यावर्तित किया, उसी आदेश से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 15.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह अवगत कराया कि चूंकि प्रकरण विचाराधी है और शिकायत के संबंध में जॉच की कार्यवाही की जा रही है इसलिए अभी जॉच रिपोर्ट प्रदान नहीं की जा सकती है और अधिनियम की धारा–8(1)(ज) के अन्तर्गत जॉच अन्वेषण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है । जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया तर्क मान्य योग्य प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकरण में अन्वेषण की कार्यवाही जब–तक पूर्ण नहीं हो जाती, तब–तक अन्वेषण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और अधिनियम की धारा–8(1)(ज) के अन्तर्गत उसे छूट माना गया है ।

3/ अतः उपरोक्त अपील अमान्य की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com